



24-12-19



 सहायक कलेक्टर

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् मन्त्र वकील
 उप० है वादी मन्त्र वकील उपस्थित होकर वाद
 को आगे नहीं चलाकर विद्वा कर्तव्य का प्रा
 पत्र पेश किया है वादी को सुना जमा तो
 वाद को आगे नहीं चलाकर विद्वा कर्तव्य
 स्वीकार किया इससे प्रतिवादी जण भी
 सहमत है अतः विद्वा प्रार्थना-पत्र स्वीकार
 कर वाद रवारिज किया जाता है। पत्रावली
 फ़ैसल शुनार होकर दर्ज रजिस्टर से कम
 ही। आदेश शुले - आचालय में सुनाया

जमा


 सहायक कलेक्टर
 साँभर लोक

017
 10-12-19


 24/12/19